

22 फरवरी 2008 के पूर्व सम्पन्न

विवाह पंजीयन हेतु

(पति की ओर से)



-: शपथ पत्र:-

(धारा 15 विशेष विवाह अधिनियम 1954 के परिपालन में प्रस्तुत)

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि:-

मेरा नाम:-

पिता का नाम:-

माता का नाम:-

जन्मतिथि :-

आवेदन दिनांक को आयु

व्यवसाय:-

जाति:-

स्थायी पता:-

स्थानीय पता :-

1. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ। पूर्व में मेरी किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रही है। वर्तमान में विवाहित हूँ।
2. मेरा विवाह दिनांककोरिती रिवाज एवं अनुष्ठानों के माध्यम से दोनों पक्षकारों की सहमति से श्रीमती.....पिता.....माता.....जन्मतिथी.....जाति.....स्थायीपता.....स्थानीय पता.....के साथ हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ था। प्रमाण स्वरूप विवाह पत्रिका एवं विवाह छायाचित्र प्रस्तुत किये गये हैं।
3. यह कि मैं एवं द्वितीय पक्षकार श्रीमतीजिला के समक्ष विवाह प्राधिकारी जिला इन्दौर म०प्र० के क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह पंजीयन आवेदन की दिनांक से 30 दिवस पूर्व की कालावधि तक इन्दौर में निवासरत रहा हूँ।
4. यह कि हम दोनों विवाह दिनांक से ही बराबर पति-पत्नी के रूप में नियमित रूप से साथ में रह रहे हैं।
5. यह कि विवाह के समय मैं वयस्क था तथा 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका था।
6. यह कि हम दोनों पक्षकारों के मध्य विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 2 (ख) भाग 1 एवं 2 में वर्णित अनुसार प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है।
7. यह कि विवाह के समय इस विवाह के अनुष्ठापन के लिए मेरी एवं द्वितीय पक्षकार की पूर्ण रूपेण राजी मर्जी एवं सहमति थी। साथ ही यह कि मेरे विवाह अनुष्ठापन के संबंध में मेरे पिता एवं परिजनों को किसी प्रकार कि आपत्ति नहीं है।
8. यह कि विवाह के समय एवं विवाह पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत करते समय मैं शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूँ एवं सोचने समझने की पूर्ण शक्ति रखता हूँ। मैं विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने के साथ साथ इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीडित नहीं रहा हूँ।

9. यह कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है ।
10. यह कि इस विवाह से हमारीसंताने है, जिनके नाम एवं आयु इस प्रकार है:-
11. यह कि इन दोनों पक्षकारों द्वारा विशेष विवाह अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के अन्तर्गत इन्दौर अथवा किसी अन्य स्थान पर पूर्व में विवाह पंजीयन नहीं कराया गया है।
12. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ और नगर /ग्राम मेंदिनों /वर्षों से निवास कर रहा हूँ ।
13. यह कि मेरे और कु0.....के बीच विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 2 (ख) अधिसूचित अन्तर्गत भाग 1 एवं भाग 2 में वर्गीकृत किसी प्रकार की प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है ।
14. यह कि मैं चित विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं हूँ।
15. यह कि यह मेरा प्रथम विवाह है । मेरे द्वारा विवाहों के अनुष्ठान संबंधी किसी अन्य प्रवृत्त विधि /परंपरा के अन्तर्गत पूर्व में कोई विवाह अनुष्ठापित नहीं किया गया है।
16. यह कि मैं द्वितीय पक्षकार कु0.....को साक्षियों की उपस्थिति में अपना विधिपूर्ण जीवन साथी (पत्नी/पति) स्वीकर करने के लिए पूर्णतः सहमत एवं तत्पर हूँ ।
17. यह कि विवाह पूर्व विधवा/तलाक शुदा होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र सक्षम न्यायालय की डिक्री प्रस्तुत कर रहे हैं ।
18. यह कि मैं पूर्णतः स्वस्थ, वयस्क एवं निर्णय लेने में समर्थ होकर पूरे होशो हवास में यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। शपथ पत्र में मेरे द्वारा वर्णित प्रत्येक जानकारी एवं तथ्य पूर्णतः सत्य है ।शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की मिथ्या घोषणा प्रमाणित होने पर मैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 एवं भारतीय दंड दंडिता के प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत दंड का भागी होऊंगा ।

इन्दौर, दिनांक:-

शपथग्रहिता

सत्यापन लेख

उपरोक्त शपथ पत्र पैरा 1 से लगायत 4 तक का कुल कथन सत्य एवं सही है । इसमें कोई भी कथन न तो असत्य है ना ही छिपाया गया है ।

इन्दौर, दिनांक:-

शपथग्रहिता